संख्या-22/21/1982 कार्मिक-2

प्रेषक,

श्री जी० पी० शुक्ल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : 31 दिसम्बर, 1984

विषय :—राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित आरक्षण की पूर्ति ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश सं० 233/चालिस 1-13 (12) 1981 दिनांक 5 फरवरी, 1981 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों पर भर्ती हेतु यदि किसी प्रतियोगिता/चयन में उक्त जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक किन्हीं परिस्थितियों में इन जातियों के अभ्यर्थी चयनित न हो सकें तो ऐसी अवशेष रिक्तियों को भरने के लिये पहली प्रतियोगिता/चयन के ही अनुक्रम में एक दूसरी प्रतियोगिता/चयन जोकि केवल अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये ही सीमिति रहेगा, आयोजित की जायं ।

2. लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समस्त पदों के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में समुचित विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले ऐसे सभी पदों, जिन पर भर्ती के लिये वार्षिक या नियमित रूप से प्रतियोगितात्मक परीक्षा/चयन नहीं होते हैं उनमें यदि किसी प्रतियोगिता/चयन में अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लिये आरक्षित कुछ रिक्तियां किन्हीं परिस्थितियों में बिना भरे रह जाती हैं तो इन अवशेष रिक्तियों को भरने के लिये कुछ अन्तराल देकर एक अनुवर्ती प्रतियोगिता/चयन, जो केवल इन्हीं जातियों तक सीमित रहेगा, आयोजित किया जाना चाहिये ।

3. कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/विभागों को अवगत कराने तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय
(जी० पी० शुक्ल)
विशेष सचिव

संख्या-22/21/1982 (1)-कार्मिक—2, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उ० प्र०, लखनऊ ।
4. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ० प्र०, इलाहाबाद/लखनऊ ।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उ० प्र०, लखनऊ ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
7. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ० प्र०, लखनऊ ।
8. गोपन अनुभाग–1, उनके पत्र संख्या 4/35/35-84-सी एक्स०-1 दिनांक 21 दिसम्बर, 1984 के संदर्भ में ।
9. सचिव, मुख्य मंत्री जी ।

आज्ञा से,
चन्द्र मोहन लाल साह
अनु सचिव ।